Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अप्रैल (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- मुरिया जनजाति 3
- छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए 4
- 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान 4
- महानदी 5
- छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण 6
- छत्तीसगढ़ में भूकंप 6
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 8
- छत्तीसगढ़ के कार्यकर्त्ता को मिलेगा ग्रीन नोबेल 9
- मुरिया जनजाति 10

नोट :

छत्तीसगढ़

मुरिया जनजाति

चर्चा में क्यों ?

रिपोर्टों के अनुसार, वामपंथी चरमपंथियों और राज्य प्रायोजित सलवा जुडूम के बीच संघर्ष के दौरान **मुरिया जनजातियाँ** छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से पलायन कर गईं तथा आंध्र प्रदेश के आरक्षित वन्य क्षेत्रों में बस गईं।

- हालाँकि, प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और सामाजिक कल्याण लाभों तक उनकी पहुँच एक सपना बनी हुई है तथा अब उन पर विस्थापन का भी खतरा मंडरा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- यह बस्ती नक्सलवाद से प्रभावित आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर **'भारत के लाल गलियारे (Red Corridor)'** के भीतर स्थित है जो एक आरक्षित वन के भीतर एक निर्जन स्थान (Oasis) के रूप में बसी है, जो बस्ती और निर्वनीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले सख्त कानूनों द्वारा संरक्षित है।
  - वे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर ज़िलों से पलायन कर तत्कालीन पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी ज़िलों में बस गए
- मुरिया बस्तियों को **आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP)** की बस्तियों के रूप में जाना जाता है, जिनकी आबादी **आंध्र प्रदेश में लगभग 6,600** है और यहाँ के मुरियाओं को मूल जनजातियों द्वारा **'गुट्टी कोया'** कहा जाता है।
- गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के एक समूह द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में 1,621 मुरिया परिवार हैं।

सलवा जुडूम

- यह गैरकानूनी सशस्त्र **नक्सलियों** के प्रतिरोध के लिये **संगठित आदिवासी/जनजातीय व्यक्तियों का एक समूह** है। इस समूह को कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र द्वारा समर्थित किया गया था।
- **वर्ष 2011 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने नागरिकों को इस तरह से हथियार देने के विरुद्ध निर्णय सुनाया व सलवा-जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया और **छत्तीसगढ़ सरकार को** माओवादी गुरिल्लाओं से निपटने के लिये स्थापित किसी भी **मिलिशिया बल को भंग करने का निर्देश दिया**।

मुरिया जनजाति

- मुरिया भारत के छत्तीसगढ़ के **बस्तर ज़िले** का एक **स्थानीय आदिवासी**, अनुसूचित जनजाति **द्रविड़ समुदाय** है। वे **गोंडी लोगों** का हिस्सा हैं।
- ये लोग **कोया** बोलते हैं, जो एक द्रविड़ भाषा है।
- उनका विवाह और समग्र जीवन के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण है। सबसे बड़ा उदाहरण **घोटुल (एक कम्यून या छात्रावास)** है, जिसका उद्देश्य मुरिया युवाओं में उनकी लैंगिकता को समझने के लिये एक वातावरण बनाना है।

आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (Internally Displaced People- IDP)

- IDP ऐसे **व्यक्ति विशेष** या **व्यक्तियों के समूह** हैं जिन्हें विशेष रूप से **सशस्त्र संघर्ष**, सामान्यीकृत हिंसा की स्थितियों, उल्लंघनों, मानवाधिकार या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के परिणामस्वरूप या उनके प्रभाव से बचने के लिये **पलायन करने** या अपने घरों या अभ्यस्त निवास स्थानों को छोड़ने **के लिये बाध्य किया गया** है और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा को पार नहीं किया है।

नोट :

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक में **कांकेर इलाके** में 29 नक्सली मारे गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- इससे पहले **ग्रेहाउंड कमांडो ने वर्ष 2016** में एक ऑपरेशन में 30 नक्सलियों को मार दिया गया था।
  - **वर्ष 2021 में** एक अन्य ऑपरेशन में, शीर्ष नक्सली नेता को 25 अन्य लोगों के साथ मार दिया गया।
- 16 अप्रैल को कांकेर ज़िले के छोटेबेटिया थाना सीमा क्षेत्र में **कांकेर ज़िला रिज़र्व गार्ड (DRG) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) की संयुक्त टीम** द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था।
  - छोटेबेतिया थाना क्षेत्र के बीनागुंडा-कोरागुट्टा जंगलों के पास माओवादियों व सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई।

ग्रेहाउंड्स

- यह आंध्र प्रदेश में बढ़ते माओवादी खतरे से निपटने के लिये IPS अधिकारी के.एस. व्यास द्वारा वर्ष 1989 में स्थापित **एक विशिष्ट माओवादी विरोधी बल** है।
- इसके सदस्य **गुरिल्ला एवं वन युद्ध नीति में अच्छी तरह से प्रशिक्षित** हैं।
- इस बल के सदस्यों की **आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं** हो सकती।
- एक बार जब वे 35 वर्ष पार कर लेते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति तक सिविल पुलिस में शामिल कर लिया जाता है।
- यह विशेष पुलिस बल आंध्र प्रदेश में **वामपंथी उग्रवाद** के पतन का मूल कारण बना।
- इसने अन्य समान बलों को भी माओवादियों से लड़ने के लिये प्रेरित किया।

भारत में नक्सलवाद

- नक्सलवाद शब्द का नाम **पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलबाड़ी** से लिया गया है।
- इसकी शुरुआत स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी। विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में **कानू सान्याल और जगन संथाल** के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी।
- पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया है।
- ऐसा माना जाता है कि नक्सली **माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा** का समर्थन करते हैं।
  - **माओवाद माओ त्से तुंग** द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का एक सिद्धांत है।

19 अप्रैल को बस्तर में मतदान

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा।

मुख्य बिंदु:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इस विधानसभा क्षेत्र में करीब दो हज़ार मतदान केंद्र बनाये गए हैं। सुरक्षा कारणों से इनमें से 200 से अधिक मतदान केंद्रों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
  - निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिये पूरी तैयारी कर ली है।
    - इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीजापुर ज़िले में छह मतदान केंद्र हैं जहाँ लोग करीब बीस वर्ष बाद दोबारा मतदान कर सकेंगे।

नोट :

वामपंथी उग्रवाद

- वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE), जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से **महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन** करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये **सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति** को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत **वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में** नक्सलबाड़ी (Naxalbari) के उदय के साथ हुई।

महानदी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महानदी नदी में एक नाव दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने **मृतकों के परिजनों के लिये ₹4 लाख की अनुग्रह राशि** की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- **परिचय:**
  - महानदी तंत्र गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद **प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी** तथा **ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी** है।
  - नदी का जलग्रहण क्षेत्र **छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड** और **महाराष्ट्र** तक विस्तृत है।
  - इसका बेसिन **उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट** व **पश्चिम में** मैकल पर्वत श्रृंखला से घिरा है।
- **स्रोत:**
  - यह छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के निकट **अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा नामक स्थान से** निकलती है।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:**
  - **सियोनाथ, हसदेव, मांड और इब महानदी में बाईं ओर** से मिलती हैं जबकि **ओंग, तेल तथा नदी विवाद:**
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया।
- **महानदी पर प्रमुख बाँध/परियोजनाएँ:**
  - हीराकुंड बांध: यह भारत का सबसे लंबा बाँध है।
  - रविशंकर सागर, दुधावा जलाशय, सोंदुर जलाशय, हसदेव बांगो और तंदुला अन्य प्रमुख परियोजनाएँ हैं।
- **शहरी केंद्र:**
  - बेसिन में तीन महत्त्वपूर्ण शहरी केंद्र **रायपुर, दुर्ग** और **कटक** हैं।
- **उद्योग:**
  - अपने समृद्ध खनिज संसाधन और पर्याप्त विद्युत ऊर्जा संसाधन के कारण महानदी बेसिन में **अनुकूल औद्योगिक जलवायु** है।
    - भिलाई में **लौह एवं इस्पात संयंत्र**
    - हीराकुड और कोरबा में **एल्युमीनियम कारखाने**
    - कटक के पास **पेपर मिल**
    - सुंदरगढ़ में **सीमेंट फैक्ट्री**।
  - यहाँ मुख्य रूप से कृषि उपज पर आधारित अन्य उद्योग **चीनी और कपड़ा मीलें** हैं।
  - कोयला, लोहा और मैंगनीज का खनन यहाँ की अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ हैं।

नोट :

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के मुताबिक, **छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा** में एक मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर और तीन महिलाओं समेत **18 नक्सलियों** ने आत्मसमर्पण कर दिया।

मुख्य बिंदु:

- वे दक्षिण बस्तर में माओवादियों **की भैरमगढ़ और मलंगेर क्षेत्र समितियों** का हिस्सा थे।
- सूत्रों के मुताबिक, इन कैडरों को सड़कें खोदने, सड़कों को अवरुद्ध करने के लिये पेड़ काटने और **नक्सलियों** द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान पोस्टर तथा बैनर लगाने का कार्य सौंपा गया था।
  - उन्हें **सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति** के तहत सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी।
  - इसके साथ ही दंतेवाड़ा ज़िले में अब तक 177 इनामी नक्सली सहित 738 नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।
- सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित ज़िलों में नक्सलियों पर सख्त प्रवर्तन उपाय लागू किया है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE)

- यह उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है **जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं।**
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये **सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति** को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत **वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में** नक्सलबाड़ी (Naxalbari) के उदय के साथ हुई।
- **भारत में LWE की स्थिति:**
  - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि **वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 76% की कमी आई है।**
  - साथ ही, हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी कमी आई है क्योंकि **वर्ष 2010 में 96 ज़िलों** की तुलना में **वर्ष 2021 में केवल 46 ज़िलों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित** हिंसा की सूचना मिली।

छत्तीसगढ़ में भूकंप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के **जगदलपुर** बस्तर ज़िले से 1.3 किमी. दूर **2.6 तीव्रता** का हल्का भूकंप आया। इसकी **गहराई 5 किमी.** थी और इसका प्रभाव क्षेत्र में व्यापक रूप से महसूस किया गया।

मुख्य बिंदु:

- **राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत)** देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- वर्तमान में, **भारत में केवल 115 भूकंप वेधशालाएँ हैं।**
  - भूकंप वेधशाला का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू भूकंप के समय की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होना है।

नोट :

भूकंप

के बारे में

- पृथ्वी का कंपन; ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं

अवकेंद्र (Hypocenter)

- वह स्थान जहाँ भूकंप का उद्गम होता है (पृथ्वी की सतह के नीचे)

अधिकेंद्र (Epicenter)

- अवकेंद्र के समीपस्थ स्थान (पृथ्वी की सतह पर)

भूकंपीय तरंगें

- भूगर्भिक तरंगें: पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं।
  - P तरंगें: तीव्र गति से चलती हैं, ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुज़र सकती हैं।
  - S तरंगें: धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती हैं, केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं।
- धरातलीय तरंगें: भूकंपलेखी (सिस्मोग्राफ) पर अंत में अभिलेखित होती हैं, अधिक विनाशकारी, शैलों/चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती हैं
  - लव तरंगे: लंबवत् विस्थापन के बिना S-तरंगों के समान गति (क्षैतिज), क्षैतिज गति प्रसार की दिशा के लंबवत्, रेले तरंगों की तुलना में तीव्र गति
  - रेले तरंगें: भूमि पर दीर्घवृत्ताकार पथ में दोलन उत्पन्न करती हैं, सभी भूकंपीय तरंगों में से अधिकांश के प्रसार का कारण बनती हैं, एक ऊर्ध्वाधर ताल में लंबवत् व क्षैतिज रूप से गति करती हैं

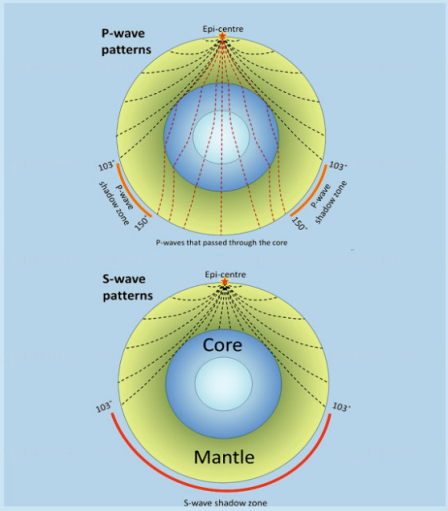

भूकंप के कारण

- किसी भ्रंश/भ्रंश ज़ोन के किनारे-किनारे ऊर्जा का निर्मुक्त होना (भूपर्पटी की शिलों में दरारें)
- टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन (सबसे सामान्य कारण)
- ज्वालामुखी विस्फोट (शैल के तनाव में परिवर्तन - मैग्मा का अन्तःक्षेपण/निकासी)
- मानवीय गतिविधियाँ (खनन, रसायनों/परमाणु उपकरणों का विस्फोटन आदि)

भूकंप का मापन

- भूकंपमापी (Seismometer)- भूकंपीय तरंगों को मापता है
- रिक्टर पैमाना (Richter Scale)- परिमाण को मापता है (निर्मुक्त ऊर्जा; सीमा: 0-10)
- मरकैली (Mercalli)- तीव्रता को मापता है (दृश्यमान क्षति; सीमा: 1-12)

वितरण

- परि-प्रशांत मेखला (Circum-Pacific Belt)- सभी भूकंपों का 81%
- अल्पाइड भूकंप मेखला (Alpide Earthquake Belt)- सबसे बड़े भूकंपों का 17%
- मध्य अटलांटिक कटक (Mid-Atlantic Ridge)- अधिकांशत: जल के नीचे डूबा हुआ

भारत में भूकंप

- तकनीकी रूप से सक्रिय पर्वतों- हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप से अत्यंत प्रभावित देशों में से एक है।
- भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV, और V) में विभाजित किया गया है।

Drishti IAS

नोट :

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के कार्यान्वयन में अपेक्षित नियम बनाने में कुछ राज्यों की विफलता पर नाराज़गी व्यक्त की।

मुख्य बिंदु:

- अधिनियम के अनुसार, **राज्य की नियम-निर्माण शक्तियों** में दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिये एक समिति का गठन, ज़िला स्तरीय समितियों का गठन और राज्य आयुक्त की सेवाओं के **वेतन,** भत्तों एवं अन्य शर्तों को निर्धारित करना तथा दिव्यांगजनों के लिये धन का सृजन शामिल है।
- शीर्ष न्यायालय ने पाया कि उसने अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिये कई आदेश पारित किये हैं लेकिन कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी तक अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे **राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों** ने **राज्य आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है।**
- जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दमन एवं दीव, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने **अभी तक निर्धारित धनराशि का गठन नहीं किया है।**

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- यह अधिनियम **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD)** को प्रभावी बनाने के लिये **भारत की संसद** द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था।
- यह अधिनियम पहले के **नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** का स्थान लेता है, जिसे भारत में दिव्यांगजनों की ज़रूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने में अपर्याप्त तथा पुराना माना जाता था।
- अधिनियम द्वारा शुरू किये गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक दिव्यांगता की परिभाषा और वर्गीकरण का विस्तार है।
- **अधिनियम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है,** जबकि पिछले कानून के तहत यह 7 प्रकार की थी। ये हैं:
  - अंध और दृष्टि-बाधित, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति,
  - श्रवणविकार/दोष, चलन-संबंधी दिव्यांगता, बौनापन
  - बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार,
  - सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ,
  - स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्केलेरोसिस, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता,
  - थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग,
  - श्रवण विकार/दोष, तेजाब हमले से प्रभावित और पार्किन्संस रोग सहित कई दिव्यांगताएँ।
- यह केंद्र सरकार को निर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी अन्य श्रेणी को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- यह दिव्यांग व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि है, जो बाधाओं के कारण, उन्हें दूसरों के साथ समान समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है।
- यह **बेंचमार्क दिव्यांगता** वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता 40% से कम नहीं है, जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है, जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसे- प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रामाणित।
- इसके अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता की उच्च आवश्यकता होती है और उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों के लिये दूसरों से सहायता की आवश्यकता होती है।

नोट :

छत्तीसगढ़ के कार्यकर्त्ता को मिलेगा ग्रीन नोबेल

चर्चा में क्यों ?

छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्त्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (CBA) के संयोजक **आलोक शुक्ला** को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिये चुना गया है, जिसे **ग्रीन नोबेल** भी कहा जाता है।

मुख्य बिंदु:

- उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिये उनके संघर्षों और पहलों के लिये चुना गया है, जिसमें मध्य भारत के सबसे सघन वनों में से एक **हसदेव अरण्य** भी शामिल है, जो 170,000 हेक्टेयर तक फैला हुआ है, जिसमें **23 कोयला ब्लॉक** हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानित किया जाएगा।
- उन्होंने आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से **445,000 एकड़ जैवविविधता से समृद्ध वनों को बचाने के लिये अडानी खनन** के खिलाफ अभियान चलाने के लिये **स्वदेशी समुदायों** और कोयला खनन से प्रभावित लोगों को सफलतापूर्वक अभियान चलाया तथा संगठित किया।
  - वर्ष 2009 में, पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव अरण्य को उसके समृद्ध वन क्षेत्र के कारण खनन के लिये **"नो-गो"** क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया, लेकिन इसे खनन हेतु फिर से खोल दिया। हसदेव अरण्य को खनन मुक्त बनाने के लिये CBA ने लगातार संघर्ष किया।

हसदेव अरण्य वन

- **छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में फैला हुआ** हसदेव अरण्य वन क्षेत्र अपनी **जैवविविधता और कोयला भंडार के लिये जाना जाता है।**
- यह वन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले ज़िलों **कोरबा, सुजापुर और सरगुजा** के अंतर्गत आता है।
- महानदी की सहायक **नदी हसदेव** यहाँ से प्रवाहित होती है।
- हसदेव अरण्य मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन है जिसमें **प्राचीन साल (शोरिया रोबस्टा) और सागौन के वन** शामिल हैं।
- यह एक **प्रसिद्ध प्रवासी गलियारा** है, जिसमें **हाथियों की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति** है।

नोट :

ग्रीन नोबेल पुरस्कार

- **गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार** (जिसे **ग्रीन नोबेल पुरस्कार** के रूप में भी जाना जाता है) अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर **प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा** और संवर्द्धन हेतु निरंतर तथा महत्त्वपूर्ण प्रयासों के लिये व्यक्तियों को मान्यता देता है।
- यह **वर्ष 1990 से गोल्डमैन एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन** द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- यह विश्व के छह महाद्वीपीय क्षेत्रों के लोगों का सम्मान करता है: **अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एवं मध्य अमेरिका।**
- गोल्डमैन पुरस्कार **"ज़मीनी स्तर" के नेताओं** को स्थानीय प्रयासों में शामिल लोगों के रूप में देखता है, जहाँ उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों में समुदाय या नागरिक की भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन किया जाता है।
- गोल्डमैन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता सामान्यत: पृथक् गाँवों या सुदूर शहरों के लोग होते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिये बड़े व्यक्तिगत जोखिम उठाना चुनते हैं।
- **विजेताओं की घोषणा पृथ्वी दिवस पर की जाती है जो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है।**

मुरिया जनजाति

चर्चा में क्यों ?

आंध्र प्रदेश व **छत्तीसगढ़** के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली मुरिया/मुड़िया जनजाति के पास दोनों राज्यों से प्राप्त मतदाता कार्ड हैं, एक उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिये है एवं दूसरा उनके जन्म के संदर्भ और प्रमाण के लिये।

मुख्य बिंदु:

- यह बस्ती नक्सलवाद से प्रभावित आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर 'भारत के रेड कॉरिडोर' के भीतर स्थित है जो आरक्षित वन के भीतर स्थित एक मरूद्यान (Oasis) है तथा यह बस्ती और निर्वनीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले सख्त कानूनों द्वारा संरक्षित है।
- मुरिया बस्ती को **आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP)** के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, जिनकी आबादी आंध्र प्रदेश में लगभग 6,600 है और यहाँ के मुरियाओं को मूल जनजातियों द्वारा **'गुट्टी कोया'** कहा जाता है।
- यह जनजाति माओवादियों और सलवा जुडूम के बीच संघर्ष के दौरान विस्थापित हुई थी।
- **मुरिया** भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले का एक मूल **आदिवासी**, अनुसूचित जनजाति **द्रविड़** समुदाय है। वे **गोंडी** समुदाय का हिस्सा हैं।

सलवा जुडूम

- यह गैरकानूनी सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ प्रतिरोध के लिये संगठित **आदिवासी व्यक्तियों का एक समूह है।** इस समूह को कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र द्वारा समर्थित किया गया था।
- **वर्ष 2011 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने नागरिकों को इस तरह से हथियार देने के खिलाफ निर्णय सुनाया और सलवा-जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया तथा **छत्तीसगढ़ सरकार को** माओवादी गुरिल्लाओं से निपटने के लिये स्थापित किसी भी **मिलिशिया बल को भंग करने का निर्देश दिया।**

आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDP)

- IDP ऐसे व्यक्ति विशेष या **व्यक्तियों के समूह हैं जिन्हें पलायन करने** या अपने घरों या निवास स्थानों को छोड़ने के लिये मज़बूर किया गया है, विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव से बचने के लिये, सामान्य हिंसा की स्थिति, मानवाधिकार या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का उल्लंघन और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा को पार नहीं किया है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :